

## NBFC जमाकर्त्ताओं के लिये समय पूर्व पुनर्भुगतान दिशा-निर्देश

**स्रोत: BL**

तत्काल वित्तीय जरूरतों का सामना कर रहे **गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC)** जमाकर्त्ताओं की सहायता के लिये एक महत्वपूर्ण नरिणय के रूप में, **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** ने वशिष्ट शर्तों के तहत जमा राशियों के समय पूर्व पुनर्भुगतान की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश जारी किये।

- **संबंधित सरकार या प्राधिकरण** को अधिसूचित चकित्सा व्यय या प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों से नपिटने के लिये अब **बना ब्याज के तीन महीने के भीतर जमा राशियों का समय पूर्व पुनर्भुगतान करने की अनुमति** है।
  - जमाकर्त्ता के अनुरोध पर छोटी जमा राशियों (10,000 रुपए तक) का पूरा पुनर्भुगतान कया जा सकता है, जबकि अन्य सार्वजनिक जमा राशियों के लिये **50% या 5 लाख रुपए** (जो भी कम हो) तक की राशि की नकिसी की जा सकती है।
  - **गंभीर रोग मामलों में, बना ब्याज के मूलधन के 100% राशि की समय पूर्व नकिसी** की जा सकती है।
- NBFC को नामांकन अनुरोधों को स्वीकार करने के लिये एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी ग्राहकों को उनके नामांकन की स्थिति के बारे में सूचित कया जाए।
  - जमा परपिक्वता के लिये नोटिस अवर्धा दो महीने से घटाकर 14 दिन कर दी गई है, जिससे जमाकर्त्ताओं के साथ संचार में वृद्धि हुई है।
- NBFC **कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रमि, प्रतभित्तियों के अधगिरहण, बीमा व्यवसाय, चटि व्यवसाय के व्यवसाय में लगी हुई है।
  - बैंकों और NBFC के बीच मुख्य अंतर यह है कि **NBFC मांग जमा/डमिंड डपिोज़टि स्वीकार नहीं कर सकते** हैं, भुगतान और नपिटान प्रणाली का हसिसा नहीं है, और NBFC के जमाकर्त्ताओं के लिये **जमा बीमा सुवधा** उपलबध नहीं है।

और पढ़ें: **RBI करेगा NBFC की समीक्षा**